

प्रेस- विज्ञप्तिमोहरम त्यौहार अखाड़ा ताजिया के दृष्टिगत एडीजी महोदय वाराणसी ने पुलिस फोर्स के साथ थाना कोतवाली क्षेत्र में किया भ्रमण; माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु राजपत्रित अधिकारियों के साथ की मीटिंग

मोहरम त्यौहार, आगामी श्रावण मास, रक्षाबन्धन, माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के सम्बन्ध में दिनांक- 17.07.2024 को अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी श्री पीयूष मोर्डिया द्वारा पुलिस उप-महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ वैभव कृष्ण व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना की उपस्थिति में जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों के साथ मीटिंग की गयी एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

मीटिंग के पश्चात मोहरम त्यौहार अखाड़ा ताजिया के दृष्टिगत आज दिनांक- 17.07.2024 को एडीजी महोदय वाराणसी, डीआईजी महोदय आजमगढ़ व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के साथ थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत पहाड़पुर, तकिया, पुरानी कोतवाली, जामा मस्जिद, पाण्डेय बाजार, करबला, बदरका मोड़, कटरा, पुरानी सब्जी मण्डी, चौक आदि मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को परखा गया।

➡ उक्त पैदल गस्त के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेन्द्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी नगर गौरव शर्मा, थाना प्रभारी कोतवाली, अन्य अधिकारी/कर्मचारी गण, पीएसी, पुलिस आफिस, थाने व दो क्यूआरटी की पुलिस फोर्स मौजूद रही।

थाना- निजामाबादअवैध असलहा व कारतूस के साथ एक गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 17.07.2024 को उ0नि0 सुधीर पाण्डेय मय हमराह को सूचना मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति ग्राम डोडोपुर पुलिस थाना के पास अवैध तमंचा के साथ मौजूद है। इस सूचना पर पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंच कर अभियुक्त आशीष सिंह उर्फ पुल्लु पुत्र दिनेश सिंह ग्राम डोडोपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष को 01 देशी तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ समय करीब 13.05 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना निजामाबाद पर मु0अ0सं0 345/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय कर जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

आशीष सिंह उर्फ पुल्लु पुत्र दिनेश सिंह ग्राम डोडोपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 345/2024 धारा 3,25 शस्त्र अधि0 थाना निजामाबाद आजमगढ़।

पूर्व का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 135/21 धारा 379,411,413,414 IPC थाना रानी की सराय आजमगढ़।

2. मु0अ0सं0 208/21 धारा 379, 411, 420, 467, 468, 471 IPC थाना निजामाबाद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 सुधीर पाण्डेय थाना निजामाबाद आजमगढ़।

2. का0 सौरभ कुमार पाल थाना निजामाबाद आजमगढ़।

3. का0 विक्रान्त कुमार थाना निजामाबाद आजमगढ़।

थाना- रानी की सरायपंचायत भवन से चोरी गये डी0वी0आर, स्टेपलाईजर व नकदी के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनांक 12.04.2024 को वादिनी मुकदमा श्रीमती सुभावती देवी पत्नी सल्टन नि0 मैनी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया कि अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ग्राम पंचायतभवन का ताला तोड़ कर उसमें रखा इन्वर्टर, बैट्री, स्टेपलाईजर आदि चोरी कर लिया गया है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 93/2024 धारा 379/427 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

तथा दिनांक 20.06.2024 को आवेदक सुनील कुमार सरोज पुत्र स्व० चन्द्रजीत नि० चकीदी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ के द्वारा एक किता प्रार्थना पत्र दिया गया कि अज्ञात व्यक्ति के द्वारा प्रार्थी के जनसेवाकेन्द्र दुकान का ताला तोड़ कर सीसीटीवी कैमरा सहित मशीन को चुरा ले जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०स० 170/2024 धारा 379 भादवि बनाम नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त विष्णु चौहान पुत्र सर्वे चंद्र चौहान निवासी ग्राम मल्लापुर थाना रानी की सराय आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया, जिसको गिरफ्तार कर मा० न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तारी की विवरण-

दिनांक- 17.07.2024 को उ०नि० संतोष कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आए अभियुक्त चौहान पुत्र सर्वे चंद्र चौहान निवासी ग्राम मल्लापुर थाना रानी की सराय आजमगढ़ को कोटिला नहर पुलिया के पास से कैमरा का डी०वी०आर, एक स्टेपलाईजर तथा 700रुपया पाकेट के साथ समय करीब 11.50बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग- (1)मु०अ०स० 93/2024 धारा 379/427 भादवि (2) मु०अ०स० 170/2024 धारा 379 भादवि
गिरफ्तार अभियुक्त -- विष्णु चौहान पुत्र सर्वे चंद्र चौहान निवासी ग्राम मल्लापुर थाना रानी की सराय आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष बरामदगी ---

(1) मु०अ०स० 93/2024 धारा 379/427/411 भादवि --- एक स्टेपलाईजर व 700रुपया

(2) मु०अ०स० 170/2024 धारा 379/411 भादवि --- एक कैमरा का डीवीआर

आपराधिक इतिहास --

क्र०स० मु०अ०स० धारा थाना जनपद

01 93/2024 379/427/411 भादवि रानी की सराय आजमगढ़

02. 170/2024 379/411 भादवि रानी की सराय आजमगढ़

03. 308/2023 60अबकारी अधि० गम्भीरपुर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

(1) उ०नि० संतोष कुमार यादव थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

(2)का० आलोक कुमार थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

(3) हो०गा० रामकरन सरोज थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

थाना गम्भीरपुर

दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण----

दिनांक 04.09.2023 को अभियुक्त अजीत कुमार पुत्र नन्दलाल निवासी करनपुर थाना लालगंज जनपद मिर्जापुर उ०प्र० अपने अन्य साथी अंकित पुत्र रामकिर्तन, सीपी प्रसाद पुत्र गंगाराम व दो अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर वादिनी /पाडिता को जनपद मिर्जापुर भगा ले गया तथा फर्जी दस्तावेज बनवाकर वादिनी/पीडिता उपरोक्त से अजीत कुमार पुत्र नन्दलाल ने शादी की तथा शारीरिक सम्बन्ध बनाया तथा पीडिता ने विरोध किया तो अभियुक्तगण उपरोक्त ने मार पीट कर पीडिता को भगा दिया तथा फोन पर अभियुक्त अजीत उपरोक्त द्वारा वादिनी से 01 लाख रु० की मांग की तथा धमकी दिया जिसके सम्बन्ध में वादिनी /पीडिता के तहरीर के आधार पर दिनांक 16.07.24 को थाना स्थानीय पर मु०अ०स० 272/24 धारा - धारा 366/376D/384/420/323/506 IPC पंजीकृत होकर विवेचना हेतु व०उ०नि० मिथलेश कुमार द्वारा संपादित की जा रही थी।

आज दिनांक 17.03.24 को व०उ०नि०मिथलेश कुमार मय हमराह का० अभिनन्दन कुमार द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मु०अ०स०-272/2024 धारा-366/376D/384/420/323/506 IPC भादवि से सम्बन्धित वाछिंत अभियुक्त 01 नफर अभियुक्त अजीत कुमार पुत्र नन्दलाल निवासी ग्राम करनपुर सेमरी कला थाना लालगंज जिला मीरजापुर उम्र 22 वर्ष गोमाडीह तिराहे से समय करीब 11.35 बजे दिन में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त को मा० न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त

अजीत कुमार पुत्र नन्दलाल निवासी ग्राम करनपुर सेमरी कला थाना लालगंज जिला मीरजापुर उम्र 22 वर्ष

पंजीकृत अभियोग आपराधिक इतिहास:--

1.मु०अ०स०-272/2024 धारा-366/376D/384/420/323/506 IPC थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम

व०उ०नि० मिथलेश कुमार यादव थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

थाना देवगांव
स्कार्पियो वाहन के साथ एक गोतस्कर गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 16.07.2024 को उ0नि0 विनोद कुमार यादव द्वारा रात्रि 02.00 बजे में गश्त के दौरान कैथीशंकरपुर ओवरब्रिज व बेशो नदी पुल के मध्य सडक के किनारे कुछ लोग प्रतिबंधित पशु का वध कर चमडा छिला जा रहा था किन्तु हमलोगो को देखकर भाग गये मौके पर एक स्कार्पियो गाडी न- यू.पी 50 जे 9xxx भी खडी थी जिसके चालक सीट पर बैठा व्यक्ति नाम पता पुछने पर बिना नाम पता बताये गाडी सहित भाग गये। करीब 1.5 क्विंटल प्रतिबंधित मांस को बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना देवगांव पर मु0अ0स0 276/2024 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम बनाम पंजीकृत कराया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 अमित कुमार त्रिपाठी द्वारा संपादित किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 17.07.2024 को उ0नि0 अमित कुमार त्रिपाठी मय हमराह को सूचना मिली कि हाईवे के किनारे कल गोवंशीय पशु का वध करने वाले मुल्जिमान स्कार्पियो गाडी से चिरकिहित की तरफ से बरदह की तरफ जा रहे है यदि जल्दी घेरा बन्दी की जाय तो पकडे जा सकते है। इस सूचना पर बेसो नदी पुलिया बहद ग्राम चिरकिहित के पास एक सफेद रंग की स्कार्पियो गाडी गाड़ी से एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया तथा 04 अन्य व्यक्ति गाड़ी से उतर कर भाग गये। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम संजय सरोज पुत्र श्रीराम सरोज साकिन जयगहा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ बताया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1-मु0अ0स0 276/2024 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना देवगाव जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1-संजय सरोज पुत्र श्रीराम सरोज साकिन जयगहा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ पंजीकरण संख्या UP50J9697

बरामदगी का विवरण:-

1-एक स्कार्पियो गाड़ी

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 विनय कुमार मिश्र मय हमराह थाना देवगांव आजमगढ़
2. उ0नि0 अमित कुमार त्रिपाठी व उ0नि0 विनोद कुमार सिंह थाना देवगांव आजमगढ़
3. नि0 श्री प्रकाश शुक्ला प्रभारी हे0का0 विनोद कुमार सरोज हे0का0 अभिमित तिवारी हे0का0 अवधेश यादव का0 धर्मेन्द्र सोनी का0 मुकेश यादव एसओजी द्वितीय आजमगढ़
4. का0 संजय सिंह सर्विलांस सेल एसओजी द्वितीय आजमगढ़

थाना- जहानागंज
पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 15.07.2024 को वादी मुकदमा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रार्थनापत्र दिया गया कि विपक्षी गौरव कुमार उर्फ प्रदुम पुत्र इजलास ने दिनांक 10.07.24 को सुबह 8 बजे वादी के घर में आकर वादी की नाबालिक पुत्री के साथ छेड़खानी कर रहा था जब हम लोग विपक्षी के घर पुछने गया तो विपक्षी के भाई प्रदीप पुत्र इजलास व इजलास पुत्र बिरजा गाली गलौज देते हुए प्रार्थी को मारने के लिए दौड़ा लिए तथा गौरव कुमार उर्फ प्रदुम ने अपने मोवाइल नम्बर 9795xxxxxx से प्रार्थी के मो0न0-7080xxxxxx पर बार बार फोन करके जान से मारने की धमकी दे रहा है जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु.अ.स. मु.अ.स. 370/24 धारा 74/352/351(2)131 बी.एन.एस व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना उ.नि. ओम प्रकाश यादव द्वारा सम्पादित की जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाये गये अभियान गिरफ्तारी वांछित अभियुक्त के क्रम मे श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के कुशन निर्देशन व श्रीमान सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के कुशल नेतृत्व मे थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु.अ.स. 370/24 धारा 74/352/351(2)131 बी.एन.एस व 7/8 पाक्सो एक्ट के वांछित अभि0 प्रदुमन उर्फ गौरव कुमार पुत्र इजलास राम निवासी बोहना थाना जहानागंज आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष सेमा स्थित लगड़ा बाबा स्थान समय करीब 11.45 बजे गिरफ्तार किया गया बाद आवश्यक कार्यवाही मा0 न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

नाम पता अभियुक्त:-

प्रदुमन उर्फ गौरव कुमार पुत्र इजलास राम निवासी बोहना थाना जहानागंज आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष

आपराधिक इतिहास

मु.अ.स. 370/24 धारा 74/352/351(2)131 बी.एन.एस व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

उ.नि. ओम प्रकाश यादव थाना जहानागंज आजमगढ़

थाना- जीयनपुर

पशु तस्कर माफिया गैंग रईस गैंग का गैंग लीडर रईस, हिस्ट्रीशीटर अवैध असलहा, कारतूस व एक स्कार्पियों के साथ गिरफ्तार ।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक--16/07/2024 को उ0नि0सुभाष तिवारी मय हमराहीगण को सूचना मिली कि एक व्यक्ति मनिकाडीह की तरफ से रजादेपुर की तरफ से आ रहा है यदि जल्दी किया जाय तो पकडा जा सकता है वह अपराधी किस्म का व्यक्ति है तमंचा लेकर चलता है जो स्कार्पियो वाहन से रजादेपुर की तरफ से आ रहा है कि इस सूचना पर पुलिस मौके पर तत्काल पहुँचकर स्कार्पियों सवार व्यक्ति को पकड़ ली। पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम रईस पुत्र रियाजुद्दीन नि0ग्राम खालिसपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ बताया तथा तलाशी के दौरान गाडी के अन्दर की पीछे की दोनो शीटे नही थी बीच की सीट मोडी गयी थी गाडी के अन्दर से एक नम्बर प्लेट बरामद हुआ जिसपर नं. UP 53 Y 55xx अंकित है जिसके सम्बन्ध में ई चालान एप पर चेक किया गया तो वाहन स्वामी का नाम मो0सुहेल पुत्र इब्राहुल हक नि0ग्राम माहुरपुर थाना झगहा जनपद गोरखपुर व वाहन का प्रकार मोटर कार स्कार्पियो टर्बो प्रदर्शित हो रहा है जिसके सम्बन्ध में पकड़े गये व्यक्ति रईस उपरोक्त से पुछ ताछ किया गया तो इधर उधर की बाते बनाते हुए आना कानी करने लगा जिससे कडाई से पुछ ताछ किया गया तो बताया कि साहब मै पूर्व में गौकशी के मुकदमो में जेल जा चुका हूँ अब इस वाहन का प्रयोग मै छोटे जानवरो को गाडी में लादकर ले जाने का काम करता हूँ इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए यह तमंचा व कारतूस अपने पास रखता हूँ तथा स्कार्पियो वाहन संख्या UP 32 AT 10xx के कागजात मांगा गया तो दिखाने से कासिर रहा। उक्त वाहन संख्या UP 32 AT 10xx को ई चालान एप पर चेक किया गया तो वाहन स्वामी का नाम स्व कमलेश यादव C/O अंगद तिवारी राजेन्द्र नगर गोरखनाथ गोरखपुर प्रदर्शित हो रहा है। दोनो नम्बर के बारे में पुछा गया तो बताया की जो नम्बर प्लेट गाडी के अन्दर से बरामद हुआ है वह इस गाडी का सही नम्बर प्लेट है इस गाडी को मैने अपने रिस्तेदार के माध्यम से डेढ दो साल पहले मैने लिया था। और कडाई से पुछने पर बताया कि यह फर्जी नम्बर प्लेट गाडी पर इस लिए लगाया हूँ कि अगर कोई गाडी का नम्बर पढ ले तो मै पकडा न जाउ इसलिए मै गलत नम्बर प्लेट लगा कर इस वाहन को अपने पास ही रखकर चलाता हूँ साहब हमको माफ कर दीजिए दुबारा हमसे एसी गलती नही होगी पकड़े गये व्यक्ति रईस पुत्र रियाजुद्दीन नि0ग्राम खालिसपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ का यह कार्य धारा 3/25 आयुध अधिनियम का दण्डनीय अपराध व धारा 341 BNS का दण्डनीय अपराध का बोध कराते हुए कारण गिरफ्तारी बताकर दिनांक 16.07.2024 को समय 22.40 बजे हिरासत पुलिस लिया गया बरामदगी /गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 321/2024 धारा 3/25 A ACT व 341 भारतीय न्याय संहिता बनाम रईस पुत्र रियाजुद्दीन नि0ग्राम खालिसपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:- रईस पुत्र रियाजुद्दीन नि0ग्राम खालिसपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 38 वर्ष बरामदगी का विवरण:-

1-एक तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक चार पहिया वाहन स्कार्पियो वाहन संख्या UP 32 AT 1001 पंजीकृत अभियोग- 1. मु0अ0स0 321/2024 धारा 3/25 A ACT व 341 भारतीय न्याय संहिता थाना जीयनपुर आजमगढ आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 186/2016 धारा 307/308/186/323/504/506 भादवि व 7 सी एल ए एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ
2. मु0अ0स0 345/2016 धारा 110 जी सी आर पी सी थाना जीयनपुर आजमगढ
3. मु0अ0स0 38/2017 धारा 3/4 गुण्डा एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ
4. मु0अ0स0 64/2016 धारा 382/506/120बी भादवि थाना बिलरियागंज आजमगढ
5. मु0अ0स0 65/2018 धारा 8/20 एन डी पी एस एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ
6. मु0अ0स0 194/2018 धारा 308/452/504/506 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ
7. मु0अ0स0 332/2018 धारा 323/324/504/506 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ
8. मु0अ0स0 86/2020 धारा 188/269 भादवि व 3/5/8 गोवध नि0 अधि0 थाना जीयनपुर आजमगढ
9. मु0अ0स0 188/2020 धारा 3/5ए/8 (1) संसोधन गोवध नि0 अधि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ
10. मु0अ0स0 606/2022 धारा 3/5ए/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता थाना जीयनपुर आजमगढ
11. मु0अ0स0 003/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ
12. मु0अ0स0 020/2020 धारा 323/325/504/506 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ
13. मु0अ0स0 246/2016 धारा 3/5/8 गोवध नि0 अधि0 व 419/420/467/468 भादवि थाना मुबारकपुर आजमगढ
14. मु0अ0स0 247/2016 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर आजमगढ
15. मु0अ0स0 316/2017 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैगेस्टर एक्ट थाना मुबारकपुर आजमगढ
16. मु0अ0स0 027/2023 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर आजमगढ
17. मु0अ0स0 377/2022 धारा 379/411 भादवि थाना मुबारकपुर आजमगढ
18. मु0अ0स0 174/23 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ
19. मु0अ0स0 273/2023 धारा 3/25 A ACT थाना जीयनपुर आजमगढ

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0सुभाष तिवारी मय हमराह थाना जीयनपुर आजमगढ
2. हे0का0राजेश कुमार थाना जीयनपुर आजमगढ

थाना- फूलपुर
हत्या के प्रयास में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 15-04-2024 को मुकदमा वादी बासुदेव पुत्र कौलेश्वर साकिन मद्धूपुर, थाना फूलपुर जिला आजमगढ़ दिया गया कि दि० 15.7.24 को सुबह लगभग समय 8.30 बजे अपने खेत को घर से कुछ दूरी पर देखने गया था। इसी बीच में विपक्षीय राधेश्याम पुत्र कौलेश्वर व नितिश पुत्र राधेश्याम, किसमत्ती पत्नी राधेश्याम पुरानी जमीनी विवाद को लेकर धारदार हथियार से लैस होकर पहले से घात लगाकर बैठे थे। प्रार्थी को देखते ही उक्त तीनों ने प्रार्थी के उपर हमला बोल दिये। जिसमें प्रार्थी का सिर कई जगह फट गया तथा प्रार्थी को बुरी तरह से मारे पीटे। गाँव वालों के हस्ताक्षेप से उक्त लोग प्रार्थी को अधमरा छोड़कर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 382/24 धारा 115(2),118(1)351(2) बीएनएस बनाम राधेश्याम पुत्र कौलेश्वर व नितिश पुत्र राधेश्याम, किसमत्ती पत्नी राधेश्याम साकिन मद्धूपुर थाना फूलपुर आजमगढ़ पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ०नि० गौतम कुमार सरोज थाना फूलपुर के द्वारा कि जा रही है। दौरान विवेचना मेडिकल आदि के आधार पर धारा 110 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 17-07-2024 को उप निरीक्षक मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राधेश्याम पुत्र कौलेश्वर पता मद्धूपुर थाना फूलपुर आजमगढ़ उम्र करीब 60 वर्ष तथा नितेश कुमार पुत्र राधेश्याम पता मद्धूपुर थाना फूलपुर आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को उनके घर के बाहर पेड के नीचे से ग्राम मद्धूपुर से समय 11-55 बजे कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत पुलिस में नियमानुसार लिया गया व अभियुक्त के निशान देही पर आलाजुर्म लकडी का डण्डा (फवडा का बेट) बरामद किया गया व अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा जिलाकारागार भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग- मु०अ०सं० 382/2024 धारा 115(2),118(1)351(2),110 बीएनएस थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1 राधेश्याम पुत्र कौलेश्वर पता मद्धूपुर थाना फूलपुर आजमगढ़ उम्र करीब 60 वर्ष

2-नितेश कुमार पुत्र राधेश्याम पता मद्धूपुर थाना फूलपुर आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष

बरामदगी का विवरण:- मु०अ०सं० 382/2024 से सम्बन्धित आलाजुर्म लकडी का डण्डा (फवडा का बेट) बरामद।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. व०उ०नि० गंगाराम बिन्द मय हमराह थाना फूलपुर आजमगढ़।

2-उ०नि० गौतम कुमार सरोज थाना फूलपुर आजमगढ़।